R- ~~38~~ 4
L- 20
Polity.

जनहित याचिका

• परम्परागत रूप में न्यायालय के द्वारा विवादों के समाधान का प्रयास किया गया।

• परम्परागत रूप में न्यायालय वादी-प्रतिवादी प्रक्रिया (Locus standi) में । न्याय के बजाय प्रक्रिया में ही उलझा गया।

• हुसैन आरा खातून वाद (1979) में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने एक पत्रकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान से कार्यवाही की।

• वर्ष 1982 में एस॰ पी॰ गुप्ता वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका को पहली बार औपचारिक मान्यता दी गई।

• उच्चतम न्यायालय ने तीसरे पक्ष को भी न्यायालय में आने की अनुमति दे दी क्योंकि जनहित याचिका समुदाय की भलाई की याचिका है इसलिए इसे सामाजिक हित याचिका भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो पक्षों के बीच विवाद नहीं होता है अपितु सामाजिक भलाई का मुद्दा प्रमुख होता है।

जनहित याचिका की विशेषताएँ :-

• किसी व्यक्ति विशेष के हितों को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त नहीं की जायेगी।

• इसका प्रयोग प्रचार अथवा राजनीतिक हितों के लिए नहीं हो सकता।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- जनहित याचिका का मूल उद्देश्य समुदाय की भलाई होनी चाहिए और यह व्यक्ति विशेष के द्वारा भी दायर किया जा सकता है।
- न्यायालय के द्वारा बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने, मजदूरी को बढ़ाने और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जनहित याचिका का प्रयोग किया जाएगा और जैसे ही न्यायालय ने जनहित याचिकाओं का प्रयोग किया, अनुच्छेद 21 में उल्लेखित जीवन के अधिकारों का स्वभाविक ही विस्तार हो गया।
- आरम्भिक रूप में जनहित याचिका का प्रयोग वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया लेकिन धीरे-धीरे जनहित याचिका का विस्तार होने लगा और पर्यावरण की रक्षा प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, जिससे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच तकराव बढ़ने लगा।

शक्ति पृथक्करण एवं जनहित याचिका

- भारत की संवैधानिक व्यवस्था में विधायिका का कार्य विधि निर्माण करना है जबकि कार्यपालिका का कार्य विधियों का क्रियान्वयन करना है।
- न्यायालय का कार्य इसके बाद आरम्भ होता है क्योंकि विधि मूल अधिकार और संविधान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

लेकिन जनहित याचिका का प्रयोग करते हुए न्यायालय की भूमिका प्राथमिक हो गई है क्योंकि न्यायालय जनहित याचिका के माध्यम से सरकार को कार्य करने का आदेश दे रही है जो शक्तिपृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन है।

- न्यायालय का तर्क है कि उसके द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है न्यायालय केवल यह सुनिश्चित करता है कि विधि और संविधान का शासन बना रहे।
- प्रस्तावना का मूल उद्देश्य ही सामाजिक न्याय है तो न्यायालय केवल विवाद हल करने की संस्था नहीं है अपितु सामाजिक न्याय का भी उपकरण है।

निष्कर्ष :-

मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका का प्रयोग सकारात्मक है लेकिन प्रशासनिक मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में न्यायालय का कार्य सरकार को नियंत्रित करना है, उसे चलाना नहीं है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

रेस जुडिकेटा :
(Res Judicata)

thing decided Earlier
(पूर्व निर्धारित हो चुका है, वह दुबारा नहीं किया जायेगा।)

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण
(यदि किसी व्यक्ति को जेल से छुड़ाना हो)

Article-33

(i) सैन्य बलों के कर्मी → आर्मी, नेवी, एयरफोर्स

(ii) लोक व्यवस्था बनाये रखना → IAS, IPS, CRPF / BSF

(iii) सूचना Intelligence → Raw, IB, NIA, CID (राज्य)

(iv) सूचना संचार प्रणाली पर कार्य करने वाले पदाधिकारी

अनुच्छेद - 34 :

(i) मार्शल विधि (सैन्य विधि)

(ii) इसे बनाये रखने के लिए तैनात पदाधिकारियों के द्वारा दिये गये दण्ड और किये गये कार्यों को वैधानिक बनाया जायेगा।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

(iii) इन पदाधिकारियों को छूट भी दी जायेगी।

(iv) संसदीय विधि का निर्माण होना चाहिए

Armed Forces special Power Act : 1958.

- अनुच्छेद 34 में सैन्य विधि अथवा उसके किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए संसद के द्वारा वर्ष 1958 में AFSPA का निर्माण किया गया। जिसके अनुसार किसी राज्य सरकार के द्वारा अथवा गृहमंत्रालय के द्वारा राज्य के किसी भी भाग में AFSPA को लागू किया जा सकता है।

- इसके प्रयोग का मूल कारण यह है कि नागरिक प्रशासन, लोक व्यवस्था बनाये रखने में विफल हो रहा है। इसलिए लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की सहायता ली जाती है।

- सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों मे AFSPA लागू किया गया जिसमें पहला राज्य असम है। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर (1988 के बाद) में भी AFSPA लागू किया गया।

- यह पंजाब और त्रिपुरा में पहले लागू किया गया था, फिर बाद में हटा दिया गया।

- जिन क्षेत्रों में AFSPA लागू होता है, वहां सैन्य बलों के पदाधिकारियों को निम्नलिखित छूट प्राप्त होती है:-

(a) उन्हें किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने, आवागमन को प्रतिबंधित करने का अधिकार है तथा उनके द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही के लिए उन्हें न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।

(b) अतः उन्हें किसी भी रूप में किसी भी अपराध के लिए न्यायालय के समक्ष अभियोजित नहीं किया जायेगा।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR